

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

अज सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), मुकाम जायल (नागौर)

टीकूराम

बनाम

चन्द्राराम

किस्म प्रकरण राजस्व वाद

प्रकरण संख्या 58/2013

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
04.06.13	<p>यह वाद वकील वादी ने अधीन धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 26.06.2013 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ. मुकाम जायल नागौर)</p> <p>अधिका/पञ्चकाराम के अधिवक्ता</p> <p>26/6/13</p> <p>26/6/13</p> <p>15/7/13</p> <p>30/7/13</p> <p>8/8/13</p>	
	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. 1 प्रतिवादी सं. 1 सं 3 के समन तामिल कर्मिदा द्वारा जोदित लेने से इनकाट की रिपोर्ट के साथ अप्र 20। प्रतिवादी सं. 4 का समन वाद तामिल अप्र 20। प्रतिवादी सं. 1 सं 4 के लिए आवाजे लगाई गई परन्तु न ह्वयं उपस्थित हुए न ही इनकी तरफ से कोई प्लीडट उप. हुआ। अतः प्रतिवादी सं. 1 सं 4 के लिए ह्वयं वायबुद ह्वयना</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

फर्द अहकाम

(नियम-26)

डि.कृ.राय ..... बनाम चन्द्रा.दास. बगैर

किस्म प्रकरण : राजस्व वाद

मुकदमा नं. 114/2013

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिषिलस जज
<p>05.06. 2018</p> <p>Notes plus incls 9.6.18</p>	<p>पत्रावली न्याय आप के द्वार शिबिर में अटल सेवा केंद्र भानोडा में पेश हुयी वकील वाडी ने नोट प्रेस कर निवेदन किया कि वाडी वाड को भागे नहीं चलावा चाहते हैं वाड को जरिफे विज्ञौल स्वारीज किया जावे/ वकील वाडे के द्वार नोट प्रेस करके के काख वाडी का वाड जरिफे विज्ञौल स्वारीज किया जाता है पत्रावली फंसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर इक्तर दाखिल हो।</p>